न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 29/अपील/2024 (GCMS No. 2024/93)	10.06.2024	07.10.2024

1. भंवरलाल आ. स्व.मोडूलाल जाति मीना, नि. गणपतपुरा तह.बून्दी
2. महावीर आ. स्व.मोडूलाल जाति मीना, नि. गणपतपुरा तह.बून्दी
3. सुनील आ. स्व.रतनलाल जाति मीना, नि. गणपतपुरा तह.बून्दी
4. अनिल आ. स्व.रतनलाल जाति मीना, नि. गणपतपुरा तह.बून्दी
5. श्रीमती फोरी बेवा स्व.रतनलाल जाति मीना, नि. गणपतपुरा तह.बून्दी

– अपीलान्टस

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बून्दी
2. श्रीमती भूरी पत्नी जगन्नाथ जाति मीणा,
   निवासी पाकलपुरिया, तहसील एवं जिला बून्दी
3. श्रीमती काली बाई पत्नी परसराम जाति मीणा,
   निवासी भरता बावडी, तहसील एवं जिला बून्दी
4. श्रीमती लाडकंवर पत्नी लटूर जाति मीणा,
   निवासी गोरधनपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी
5. अणदा आ. देवा जाति मीणा, नि. गणपतपुरा तह. व जिला बून्दी
6. रामधन आ. देवा जाति मीणा, नि. गणपतपुरा तह. व जिला बून्दी

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री बृजराज शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4 की ओर से श्री सुरेश मेघवंशी एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 5, 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

जिला कलक्टर, बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 16.05.2024 ग्राम गणपतपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार मोडू पुत्र देवा जाति मीणा के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 29/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/93 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 2, 3, 4 द्वारा दिनांक 29.07.2024 को सहमति पत्र अपील स्वीकार करने हेतु पेश किया जाकर अपील स्वीकार कर निर्णीत किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खाता संख्या नया 42 पुराना 38 की खसरा नम्बर 98/243 रकबा 0.0154 हैक्टेयर वाकेग्राम गणपतपुरा में अपीलांटस के पिता स्वर्गीय मोडू आ. देवा जाति मीणा निवासी गणपतपुरा का 1/3 हिस्सा निहित था। इसी प्रकार अन्य खाता संख्या नया 44 पुराना 40 की खसरा नम्बर 280/98 रकबा 1.3688 हैक्टेयर वाकेग्राम गणपतपुरा में स्वर्गीय मोडू आ. देवा मीणा के खाते में दर्ज थी। दिनांक 11.09.2022 को उक्त खातेदार मोडू आ. देवा मीणा का देहान्त हो गया, जबकि मोडू की पत्नी का देहान्त उनसे भी पहले दिनांक 26.01.2019 को हो चुका है। अपीलांट सं.1 व 2 उक्त खातेदार मोडू के पुत्र तथा अपीलांट सं.3 व 4 मोडू के मृतक पुत्र के पुत्र एवं अपीलांट सं.5 मोडू के मृतक पुत्र की पत्नी है। खातेदार मोडू के देहान्त के बाद उसके वारिसान अपीलांटस द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु रेस्पो.सं.1 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, किन्तु रेस्पो.सं.1 ने अपीलांटस के साथ साथ अवैधानिक रूप से दुर्भावनावश रेस्पो.सं. 2, 3, 4 के नाम भी नामानतरकरण दर्ज कर दिया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। स्वर्गीय खातेदार मोडू की जाति मीणा अनुसूचित जनजाति के तहत आती है। खातेदार अनुसूचित जन जाति के होने से उनके ऊपर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अनुसूचित जन जाति में केवल पुत्र संतानों व उसके आश्रितों को ही हक अधिकार प्राप्त होते है, विवाहित पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति पर हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय डी0एन0जे0 2014(3) पेज 1050 में मीणा समुदाय की विवाहित पुत्री को पिता की सम्पत्ति में हकदार न होना

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णीत किया है। अपीलांट अनिल की आयु 26 वर्ष एवं सुनील की आयु 30 वर्ष होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोर लापरवाही तथा बिना कोई जानकारी लिए उक्त अपीलांटस के नाम के आगे ''नाबालिग'' शब्द अंकित कर दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बालिग को नामान्तरकरण में नाबालिग अंकित करके घोर त्रुटि की है, इसलिए भी उक्त नामान्तरकरण संशोधन किये जाने योग्य है। रेस्पो.सं.1 को केवल विधायका द्वारा पारित कानून का पालन करना है, उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है इसके बावजूद रेस्पो.सं.1 द्वारा कानून हाथ में लेकर अवैधानिक नामान्तरकरण खोलने में भारी त्रुटि की है, जो विधिविरूद्ध है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपने पक्ष में डी.एन.जे. 2014(3) पेज 1050 की नजीर पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं केवल अपीलांटस के पक्ष में विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करने एवं अपीलांट सं. 3 सुनील एवं अपीलांट सं.4 अनिल के आगे से नाबालिग शब्द हटाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2, 3, 4 द्वारा बहस के दौरान अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि ग्राम गणपतपुरा के खाता सं. 42 में स्थित आराजी खसरा सं. 98/243 रकबा 0.0154 हैक्टेयर मोडू पुत्र देवा जाति मीना हिस्सा 1/3 एवं खाता सं. 44 में स्थित आराजी खसरा सं. 280/98 रकबा 1.3688 हैक्टेयर मोडू पुत्र देवा जाति मीना की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार मोडू के फोत हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि बालिग वारिसान को नाबालिग अंकित कर दिये जाने से एवं खातेदार मीना जाति का होने से उसके विरासत नामान्तरकरण में विवाहित पुत्रियों रेस्पो.सं. 2, 3, 4 का नाम दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है, जिसे निरस्त किया जावे।

इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अवलोकन से विदित है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा (2) उप धारा (2) में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यो को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे। हमारी जानकारी में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया, जिससे प्रतीत हो कि केन्द्र सरकार ने अन्यथा रूप से निर्देशित कर दिया हो। केन्द्र सरकार द्वारा आदिनांक तक कोई अधिसूचना जारी नहीं किये जाने से

अनुसूचित जन जाति में प्रचलित परिपाटी, रीतिरिवाज तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पूर्व की कानूनी स्थिति के आधार पर विरासत को तय किया जाना है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुरूष उत्तराधिकारी के मौजूद होने की दशा में पुत्रियों को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर वादग्रस्त आराजी के खातेदार का विरासत का तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप 2014(3) DNJ (Raj.) पेज 1050 पर उद्धहरण न्यायिक दृष्टांत एवं विधिक प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 444 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को मृतक खातेदार मोडू के वारिस सुनील पुत्र स्व.रामरतन एवं अनिल पुत्र स्व.रामरतन की उम्र के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर एवं अनुसूचित जन जाति के संबंध में नियमों में निहित विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 07.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी